J.D. HRD
11/2/2021

310
I. D. No. ___/PS/CSE/S
Dated 12/02/21

15/2/21

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग

क्रमांक प.13(51)का./क–1/गो.प्र./2008 जयपुर दिनांक - 9 FEB 2021

–: परिपत्र :–

राज्य सेवकों द्वारा प्रति वर्ष कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरे जाने का प्रावधान है। प्रतिवेदन भरे जाने से सम्बन्धित अनुदेश 2008 दिनांक 05.06.2008 जारी किया हुआ है लेकिन प्रतिवेदित अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने एवं प्रतिवेदक /समीक्षक/ स्वीकारकर्ता अधिकारियों द्वारा पूर्ति/टिप्पणी करते समय कुछ खामियां पाई गई है। जिनको दृष्टिगत रखते हुये निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते है:–

1. प्रायः यह देखने में आया है कि प्रतिवेदित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा ऑनलाईन या ऑफलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों को निर्धारित समय पर नहीं भरा जाता है, विलम्ब से भरे हुए प्रतिवेदनों को बिना उचित कारण बताये स्वीकार नहीं किया जाए।

2. अधिकारी/कर्मचारी द्वारा ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदन पूर्ति हेतु निर्धारित चैनल अनुसार ही सम्बन्धित प्रतिवेदक अधिकारी को प्रस्तुत करेगें। सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीन विभाग में स्वीकृत पदों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों की पूर्ति हेतु चैनल निर्धारित किया जाना सुनिश्चित करेगें।

3. वो ऑफलाईन प्रतिवेदन जो प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा पूर्ति पश्चात निर्धारित चैनल अनुसार नहीं भिजवाया जाता है, उसे स्वीकार योग्य नहीं माना जाए।

4. प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अपने अधीन कर्मचारियो/अधिकारियों को निर्धारित समय पर ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए तथा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो स्वयं के द्वारा अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के ऑफलाईन प्रतिवेदन पूर्ति कर समीक्षक अधिकारी को अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।

5. इस विभाग के परिपत्र दिनांक 30.11.2012 द्वारा पांच वर्ष से अधिक पुराने प्रतिवेदनों के स्थान पर नो–रिपोर्ट प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रावधान किया हुआ है, लेकिन प्रतिवेदन नहीं भरे जाने के प्रकरण का परीक्षण कर ठोस/उचित कारण होने पर ही नो–रिपोर्ट प्रमाण पत्र जारी किये जाने का निर्णय लिया जाए।

6. सेवानिवृत्ति के समय पिछले कई वर्षो के प्रतिवेदन बकाया होते है, राज्य सेवको द्वारा समय रहते ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदनों को पूर्ति हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, और प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी सेवानिवृत/पद त्याग चुके होते है, जिसके कारण प्रतिवेदन पूर्ति नहीं करवाये जा सकते है। अतः सम्बन्धित विभाग अधिकारी/कर्मचारी के सेवा में रहते हुए बकाया प्रवितेदनों को पूर्ति करवाया जाना सुनिश्चित करगें।

7. 5 वर्ष से अधिक पुरानी अवधि के ऑफलाईन प्रतिवेदन बिना यथोचित कारणों के स्वीकार नहीं किये जाए।

8. ऑफलाईन प्रतिवेदनों में प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी टिप्पणी अंकित करने के पश्चात दिनांक तथा नाम पद एवं मोहर आवश्यक रूप से अंकित करें।

9. तीन माह से कम अवधि का ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदन भरने एवं पूर्ति करने की आवश्यकता नहीं है।

10. ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदनों में समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा ग्रेडिंग को डाउनग्रेड/अपग्रेड करते समय उचित कारण भी अंकित किया जाए ।

11. ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदनों में प्रतिवेदक/समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा उत्कृष्ट ग्रेडिंग या असन्तोषप्रद ग्रेडिंग दिये जाने पर आधार स्वरूप स्पष्ट कारण का उल्लेख करे।

12. ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदन भरते समय प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा सभी कालमों की पूर्ति किया जाना आवश्यक है।

13. निलम्बित अधिकारी ऑनलाईन या ऑफलाईन कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों में टिप्पणी/पूर्ति करने हेतु सक्षम नहीं है।

14. अध्ययन अवकाश/आदेश की प्रतिक्षा/निलम्बित अवधि एवं अवकाश पर तीन माह से अधिक रहने पर उक्त अवधि का ऑनलाईन या ऑफलाईन प्रतिवेदन नहीं भरा जायेगा।

15. शिक्षा विभाग में पूर्व की भॉति ही निर्धारित प्रतिवेदन अवधि (01जुलाई से 30जून) अनुसार ही पूर्ति किया जाना है।

8/2/21

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख सचिव,महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव
5. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री/संसदीय सचिव।
6. समस्त संभागीय आयुक्त।
7. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टरों सहित)
8. प्रशासनिक सुधार (कोर्डिफिकेशन) विभाग अनुभाग – 7 कॉपियों सहित।
9. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, कार्मिक (कम्प्यूटर) विभाग।

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित हैः—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

**आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।**

क्रमांकः एफ3(126) ACR/CCE/10/1231 दिनांकः 07/04/2021

समस्त प्राचार्य, राजकीय स्नातक/स्नातकोतर महाविद्यालय/विधि महाविद्यालय, राजस्थान, प्राचार्य, स्कूल ऑफ आर्ट, संगीत संस्थान, जयपुर, समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र के अनुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करें।

26/03/2021

डॉ0 आर0सी0 मीना,
संयुक्त निदेशक (एच.आर.डी.)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर